

## राजस्थान-सरकार

## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 53

दिनांक: 10/03/26

डॉ0 ज्योतसना रांगा  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अजमेर

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/03/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 53

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

## राजस्थान-सरकार

## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 54

दिनांक: 10/03/26

डॉ० योगेन्द्र कुमार शर्मा  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अलवर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/03/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 54

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर।

## राजस्थान-सरकार

## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 55

दिनांक: 10/03/26

डॉ० वांका राम चौधरी,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बालोतरा।

विषय:— चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:— निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/03/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 55  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

## राजस्थान-सरकार

## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 56

दिनांक: 10/03/26

डॉ० खुशपाल सिंह राठौड  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बासवांडा।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/03/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 56

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

## राजस्थान-सरकार

## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026

/ 57

दिनांक: 10/03/26

डॉ० संजीव सक्सेना,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बारा।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/03/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026

/ 57

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 58

दिनांक: 10/03/26

डॉ० विष्णु राम विश्‍नोई,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बाड़मेर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं  
किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.  
02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/03/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 58  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 59

दिनांक: 10/3/26

डॉ० संजय गहलोत,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
ब्यावर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 59

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 60

दिनांक: 10/03/26

डॉ० गौरव कपुर,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
भरतपुर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/03/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 60

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 61

दिनांक: 10/3/26

डॉ० संजीव कुमार शर्मा,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
भीलवाड़ा

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 61  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी-सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 62

दिनांक: 10/3/26

डॉ० पुखराज साद,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बीकानेर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 62

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये-निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 63

दिनांक: 10/3/26

डॉ० ओप्रकाश सामर,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बून्दी।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 63

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 64

दिनांक: 10/3/26

डॉ० तारा चन्द्र गुप्ता,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
चित्तौड़गढ़।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 64

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 65

दिनांक: 10/3/26

डॉ० मनोज कुमार शर्मा,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
चूरु।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं  
किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.  
02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

(निदेशक) (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 65  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 10/3/26

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

(निदेशक) (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 66

दिनांक: 10/3/26

डॉ० नरेन्द्र चौधरी,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
डीडवाना-कुचामन।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।  
दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 66  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 67

दिनांक: 10/3/26

डॉ० विजय कुमार सिंघल,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
डीग।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सेल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 67

दिनांक: 10/3/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 68

दिनांक: 10/3/26

डॉ० धर्म सिंह मीणा,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
धौलपुर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 68  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 69

दिनांक: 10/3/26

डॉ० सीताराम मीणा,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

दौसा।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 69  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 70

दिनांक: 10/3/26

डॉ० अलंकार गुप्ता,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
डूंगरपुर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 70

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 71

दिनांक: 10/3/26

डॉ० प्रताप सिंह राठौड़,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
फलोदी।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 71

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 72

दिनांक: 10/3/26

डॉ० नवनीत शर्मा,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
हनुमानगढ़।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 72

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को-बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 73

दिनांक: 10/3/26

डॉ० रवि शेखावत,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जयपुर-प्रथम।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 73

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 74

दिनांक: 10/3/26

डॉ० मनीष मित्तल,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जयपुर-द्वितीय।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 74  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 75

दिनांक: 10/3/26

डॉ० राजेन्द्र कुमार पालीवाल,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जैसलमेर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 75

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 76 दिनांक: 10/3/26

डॉ० भैराराम जानी,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जालौर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 76  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 77

दिनांक: 10/3/26

डॉ० मोहम्मद साजिद,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
झालावाड़।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 77

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 78

दिनांक: 10/3/26

डॉ० छोटे लाल,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

झुन्झनू।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 78

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी-सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 79

दिनांक: 10/3/26

डॉ० सुरेन्द्र सिंह शेखावत,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जोधपुर-प्रथम।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 79

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 80

दिनांक: 10/3/26

डॉ0 मोहन दान,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जोधपुर-द्वितीय।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 80

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन-सचिव, चिकित्सा-एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों-के-क्रम-में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 81

दिनांक: 10/3/26

डॉ० जयन्ती लाल मीणा,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
करौली।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 81

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 82

दिनांक: 10/3/26

डॉ० अरविन्द गेट,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
खैरथल-तिजारा।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 82

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 83

दिनांक: 10/3/26

डॉ0 नरेन्द्र नागर,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
कोटा।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 83

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 84

दिनांक: 10/3/26

डॉ० आशीष सिंह शेखावत,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
कोटपुतली बहरोड।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सेल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 84

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/85

दिनांक: 10/3/26

डॉ० जुगल किशोर सेनी,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
नागौर

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/85

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026। 86

दिनांक: 10/3/26

डॉ० विकास मारवाल,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
पाली।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026। 86

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 87

दिनांक: 10/3/26

डॉ० जीवराज मीणा,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
प्रतापगढ़।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायें।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 87

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026। 88

दिनांक: 10/3/26

डॉ० हेमन्त कुमार बिन्दल,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजसमन्द।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे. प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।  
दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026। 88

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 89

दिनांक: 10/3/26

डॉ० महेन्द्र कुमार परमार,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
सलुम्बर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 / 89  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट, सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/90

दिनांक: 10/3/26

डॉ० अनिल कुमार जैमनी,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
सवाई-माधोपुर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/90

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/91

दिनांक: 10/3/26

डॉ० अशोक कुमार महरिया,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
सीकर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं  
किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.  
02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/91

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/92

दिनांक: 10/3/26

डॉ० दिनेश खराड़ी,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
सिरोही।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/92

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 93

दिनांक: 10/3/26

डॉ० अजय कुमार सिंगला,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
श्रीगंगानगर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 93  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी-सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 94

दिनांक: 10/3/26

डॉ० शैलेन्द्र सिंह चौधरी,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोक।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 94

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 95

दिनांक: 10/3/26

डॉ० अशोक आदित्य,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
उदयपुर-प्रथम।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सेल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 95

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/96

दिनांक: 10/3/26

डॉ० ओमप्रकाश रायपुरिया,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
उदयपुर-द्वितीय।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/96

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर  
राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/97

दिनांक: 10/3/26

डॉ० प्रकाश शर्मा,

संयुक्त निदेशक, जोन उदयपुर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरभित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/97

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. एविशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर  
राजस्थान

क्रमांक चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026। १४

दिनांक: 10/3/26

श्री अनिल कुमार सिवादेसा,  
संयुक्त निदेशक, जोन भरतपुर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बलाओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदार्थित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सेल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्या ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026। १४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर  
राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 99

दिनांक: 10/3/26

डॉ० देवेन्द्र चौधरी,

संयुक्त निदेशक, जोन बीकानेर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/ 99

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर  
राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/100

दिनांक: 10/3/26

ओ0 सम्पत सिंह जोधा,

संयुक्त निदेशक, जोन अजमेर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/100

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर  
राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/101

दिनांक: 10/3/26

डॉ० जगदीश सोनी,

संयुक्त निदेशक, जोन कोटा।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायें।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/101

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर  
राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 1 102

दिनांक: 10/3/26

डॉ० नरेन्द्र कुमार सक्सेना,  
संयुक्त निदेशक, जोन जोधपुर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएँ प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ अपलोड नहीं की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप आपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएँ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026 1 102

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 10/3/26

1. वशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. नजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड़, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. भारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर  
राजस्थान

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/103

दिनांक: 10/3/26

डॉ० यदुराज सिंह,  
संयुक्त निदेशक, जोन जयपुर।

विषय:- चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के क्रम में कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 38 दिनांक 13.02.2026 एवं 44 दिनांक 20.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा ओडीके ऐप (सैल्फ मॉनिटरिंग) में प्रतिदिन संस्था से संबंधित सूचनाएं प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये थे, प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले के अधिकांश संस्था प्रभारियों द्वारा उक्त ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जो आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में है, क्यों ना इस संदर्भ में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें, साथ ही आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से ओडीके ऐप में प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ (मोबाईल नं. 7742978678) से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 10/3/26

क्रमांक: चि0प्रशा/निरिक्षण/ओडीके/2026/107

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
4. श्री अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ, मुख्यालय।
5. श्री विनोद राठौड, यूनिसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ईमेल किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर।